

**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर जिला जबलपुर**


**-:: आदेश ::-**

कं./ 170 /सी.जे.एम./2024

जबलपुर, दिनांक-30.04.2024

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के अवकाश पर होने से कार्यविभाजन पत्र के अनुसार प्रथम प्रभारी होने की हैसियत से माह **मई 2024** में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य **10.30 बजे से 11.00** के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करें।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	01.05.2024	14	श्रीमती मृणालिनी सिंह	16.05.2024
2	श्रीमती ज्योत्सना आर्या	02.05.2024	15	श्री राकेश भिडे	17.05.2024
3	श्रीमती नमिता बौरासी	03.05.2024	16	श्री मनमोहन सिंह कौरव	20.05.2024
4	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	04.05.2024	17	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज	21.05.2024
5	श्रीमती रूचि गोलस सगर	06.05.2024	18	श्रीमती दीपा पॉल	22.05.2024
6	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर	07.05.2024	19	श्री जितेन्द्र रावत	23.05.2024
7	श्रीमती अंकिता शाही	08.05.2024	20	श्रीमती हर्षिता जैन	24.05.2024
8	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता	09.05.2024	21	श्री किशन देव सिंह पटेल	25.05.2024
9	श्री मृणाल मोहित	10.05.2024	22	श्री फरहान मसूद कुरैशी	27.05.2024
10	श्री देवरथ सिंह	11.05.2024	23	श्री राहुल क्षत्री	28.05.2024
11	सुश्री राखी साहू	13.05.2024	24	सुश्री पलक श्रीवास्तव	29.05.2024
12	सुश्री संध्या गर्ग	14.05.2024	25	श्री अंशुल जैन	30.05.2024
13	डॉ. श्री गौरव गर्ग	15.05.2024	26	सुश्री श्रेया शर्मा	31.05.2024

  
(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

**प्रतिलिपि :-**

- माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।
- उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नित हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है अन्यथा उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को **श्रीमती मीनाक्षी दांडेलिया खण्डेलवाल जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश श्रीमती मीनाक्षी दांडेलिया खण्डेलवाल जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **श्रीमती नेहा तोमर, जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश श्रीमती नेहा तोमर सिंह जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री किरण वर्मा जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी।

- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ .  
प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची  
एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- जूनियर सिस्टम ऍनालिस कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की पालनार्थ प्रेषित।

1  
for  
(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर